राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 404/2019

श्रीमती दुर्गा डिन्डोर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, बांसवाड़ा।
3. मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, छोटी शरवन, बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.03.2019
आदेश की दिनांक : 02.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान हेतु प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए 9 वर्षीय चयनित वेतनमान माह सितम्बर, 2014 से समस्त एरियर मय पारिणामिक लाभों सहित दिया जावे तथा शेष राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति विधवा परित्यकता कोटे में चयन प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 21.09.2005 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, बांसवाडा द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 28.09.2005 कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को सेवा नियमों के अनुसार स्थाई पद के विरूद्ध चयन प्रक्रिया अपनाकर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को नियुक्ति के पश्चात् आदेश दिनांक 28.09.2007 से सेवाओं को स्थाई किया और प्रत्यर्थी विभाग के अनुमति से वर्ष 2009 में प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किया। इस प्रकार अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार माह सितम्बर, 2014 से दिया जाना चाहिए था, परंतु आदेश दिनांक 31.12.2018 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को

माह जुलाई, 2009 से एसटीसी उत्तीर्ण करने की दिनांक से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 05.07.2018 से दिया गया, जबकि अपीलार्थी माह सितम्बर, 2014 से उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनम्मा चाकू बनाम राज्य सरकार तथा श्रीमती पुष्पलता हाडा बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जो शिक्षक अप्रशिक्षित होने के बावजूद अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने बाद में बीएसटीसी/बीएड. का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनको प्रथम नियुक्ति की दिनांक से ही सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिनांक से चयनित वेतनमान दिया जाना अवैध व अनुचित है। उनका यह भी कथन है कि अधिकरण माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के बाद जिन अध्यापकों ने अध्यापक की पात्रता बाद में प्राप्त की है उनकों प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिनांक से चयनित वेतनमान न देकर प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान दिया जावे। उक्त निर्णय के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने दिनांक 31.07.2001 को यह आदेश निकाले कि राज्य सरकार के आदेशानुसार अप्रशिक्षित अध्यापकों को देय चयनित वेतनमान के लिए नियुक्ति तिथि से ही सेवाओं की गणना को सही माने, वसूली को नवीन आदेश जारी नहीं किया जावे, फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने नियुक्ति दिनांक से न देकर प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिनांक से माह जुलाई, 2018 से दिया है, जो उक्त नियमों एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान हेतु प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए 9 वर्षीय चयनित वेतनमान माह सितम्बर, 2014 से समस्त एरियर मय पारिणामिक लाभों सहित दिया जावे तथा शेष राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति विधवा परित्यकता कोटे के तहत अप्रशिक्षित अध्यापक के पद पर हुई। प्रत्यर्थी विभाग की अनुमति से एसटीसी प्रशिक्षण कोर्स वर्ष 2009 में उत्तीर्ण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने 9 वर्षीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ माह जुलाई, 2009 एसटीसी उत्तीर्ण करने

की दिनांक से दिनांक 05.07.2018 को दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय के अनुसार प्रशैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की तिथि से नियमित नियुक्ति का पात्र है, तदनुसार आदेश दिनांक 31.12.2018 से 05.07.2018 से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबंधित समस्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह नियम एवं विधि तथा प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की राजस्थान सरकार द्वारा विधवा एवं विवाह विच्छेदन कोटे के तहत अप्रशिक्षित अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई थी, जो एक नियमित स्थाई पद है और प्रत्यर्थी विभाग की अनुमति के आधार पर ही अपीलार्थी ने एस.टी.सी. प्रशिक्षण योग्यता वर्ष 2009 में उत्तीर्ण की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनम्मा चाकू बनाम राज्य सरकार तथा श्रीमती पुष्पलता हाडा बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया, जिसमें ऐसे कार्मिकों की नियुक्ति दिनांक से ही चयनित वेतनमान दिया जाना बताया है। इस प्रकार अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति तिथि से उसकी सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त एरियर सहित पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य